2018/00122

फर्द अहकाम

न्यायालय: सहायक कलक्टर बस्सी जि. जयपुर

कानाराम बनाम ओमिन्द्रराम

मुकदमा संख्या / वर्ष : 46/2018

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		28/7/21 पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब [illegible] अन्य कार्य [illegible] के कारण कार्यवाही [illegible] पत्रावली दिनांक 23/09/21 को पेश हो।	
	23/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. वकील वादी को वाद पत्र पर अंतिम बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश 28.9.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	28.9.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. व्यस्तता के कारण आदेश नहीं लिखा जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14.10.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	14/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को पूर्व में वाद पत्र पर अंतिम बहस सुनी गयी थी। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	तहरीर जारी DN 6412 01/11/2022

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी

1. कानाराम पुत्र भौंमा
2. रमेश पुत्र रघुनाथ
3. गंगा सहाय पुत्र रघुनाथ
4. महेन्द्र पुत्र रघुनाथ
5. प्रभाती पत्नि स्व. रघुनाथ
6. सोहन लाल पुत्र सीताराम आयु 11 वर्ष । नाबालिग
7. प्रहलाद पुत्र सीताराम आयु 9 वर्ष जरिये संरक्षिका दादी प्रभाती पत्नि स्व. रघुनाथ
8. ग्यारसी पत्नि स्व. भूराराम

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम ढीढोल, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

प्रतिवादी

1. गोविन्दराम पुत्र भौंमा जाति मीणा निवासी ग्राम ढीढोल, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. धोकल राम पुत्र भौंमा जाति मीणा निवासी प्लाट नम्बर एफ–84 नकुल पथ लालकोठी जयपुर।
3. उपपंजीयक बस्सी जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

5. राम सहाय पुत्र भूराराम जाति मीणा निवासी ग्राम ढीढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 46/2018

निर्णय दिनांक 14.10.2022

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है–

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा तरतीबी प्रतिवादी भौमा पुत्र पूरा के वारिस एवं उत्तराधिकारी है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है–

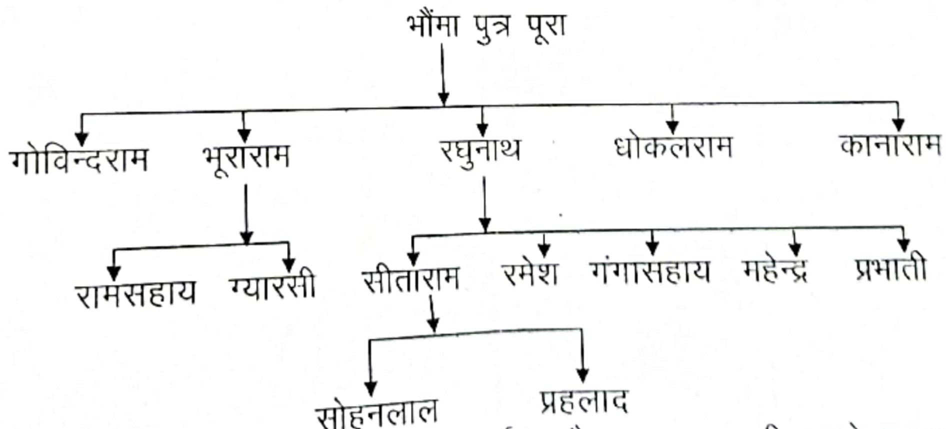

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज भौरा पुत्र पूरा की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 2 बीघा व खसरा नम्बर 136 रकबा 11

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा ग्राम ढीढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित चली आ रही है। जिसका अंकन भी खतौनी भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में भौमा पुत्र पूरा के नाम दर्ज है।

यह कि आराजियात उपरोक्त वर्णित में वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 लगायत 7 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 8 व तरतीबी प्रतिवादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा भौमा के विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी होने के कारण है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण भौमा की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त वर्णित हिस्सेनुसार आराजी जेरवाद पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी संख्या 1 वादी संख्या 2 लगायत 7 एवं वादी संख्या 8 व तरतीबी प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 136 में पुख्ता अलग-अलग मकानात बना रखे है जिनमे बिजली कनैक्शन भी उनके अलग-अलग निजी लगे हुए है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 136 में ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण का शामलाती बोरिंग स्थित है जिसमे कृषि विद्युत कनैक्शन भी वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज रघुनाथ प्रतिवादी संख्या 8 व तरतीबी प्रतिवादी के पूर्वज भूराराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से लगा हुआ है जिससे वादीगण अपने हिस्से की भूमि को सिंचित करते चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पैतृक शामलाती पुराना मकान खसरा नम्बर 116 में स्थित है।

यह कि कानूनन वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार भौंमा पुत्र पूरा के मरने के साथ ही उसके समस्त मौजूदा वारिसान में हक व अधिकार स्वतः ही निहित हो गये जिन्हे किसी भी प्रकार से समाप्त नही किया जा सकता, न ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त था कि वे सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करावें। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में की गई अवैध खातेदारी इन्द्राज की कार्यवाही बमुकाबले वादीगण कलेअदम व बेअसर है तथा पूर्णतया अवैध होने के कारण कामय रखे जाने योग्य नही है।

यह कि अभी दिनांक 02.05.2018 को ग्राम लालगढ में केम्प लगने पर वादीगण ने दिनांक 29.04.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराकर खातेदारी वादीगण के हिस्सेनुसार लगवाने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को बुलाकर केम्प मे रिकार्ड दुरूस्त कराने का आश्वासन दिया परन्तु दिनांक 02.05.2018 को प्रतिवादीगण ने केम्प मे चलने व रिकार्ड दुरूस्त कराने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण की उक्त हरकतों के कारण वादीगण को दावा दायर कर वादग्रस्त भूमि में अपने निहित हक व अधिकारो की घोषणा कराना व राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कराकर अपना नाम खातेदारी मे दर्ज कराना आवश्यक हुआ।

यह कि प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से पैतृक खातेदारी की भूमि का इन्द्राज अपने नाम दर्ज करा लेने के आधार पर वे वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा वादीगण को उनके हक व अधिकार की कब्जे काश्त की भूमि में नाजायज दखल कर बेदखल करने की चेष्टा मे है। यदि प्रतिवादीगण अपने नाजायज उद्देश्य में सफल हो गये तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार भी संभव नही हो सकेगी। जिसके कारण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

यह कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाबत घोषणा डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की पारित की जावें कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 136 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा, कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर का वादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से, वादी संख्या 2 लगायत 7 को 1/5 हिस्से, वादी संख्या 8 व तरतीबी प्रतिवादी को 1/5 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त वर्णित हिस्सो के अनुसार इन्द्राज किया जाकर रिकार्ड में दुरूस्ती कर वादीगण के नाम का अंकन किया जावें।

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

यह कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 116, 136 कुल करबा 13 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर में वादीगण के कब्जे काश्त एवं काश्त कार्य में किसी प्रकार की दखल न तो स्वयं करें न अन्य से करावें, न ही वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की चेष्टा करें एवं अवैध खातेदारी इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि का विक्रय एवं हस्तान्तरण नही करें, न ही वादग्रस्त ममि को अकृषि में परिवर्तित करने की कार्यवाही करें एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित जिसके द्वारा जवाबदावा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर वादपत्र अनुसार वादी का वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया। वादी ने अपनी साक्ष्य हेतु महेन्द्र व मीठालाल के शपथ पत्र पेश किये। वकील वादी ने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न नजीरे पेश की गयी।

1- 1983 RRD 310
2- 1990 RRD 119
3- 1994 RRD 308
4- 2009 (2) RRT 1102
5- 2012 (2) RRT 850
6- RLW 2006 (1) RJ 202

पत्रावली का अवलोकन एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने एवं वकील वादी द्वारा वादपत्र पर की गयी बहस पर ध्यान पूर्वक मनन करने एवं वादी द्वारा प्रस्तुत कानुनी नजीरो का अध्ययन करने के पश्चात वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जवाबदावा के माध्यम से वादपत्र को स्वीकार करने की सहमति देने के फलस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 116 रकबा 2 बीघा खसरा नं. 136 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर में से वादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 लगायत 7 को 1/5 हिस्से का वादी संख्या 8 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 को 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार बस्सी को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 116, 136 कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर में वादीगण के कब्जे काश्त एवं काश्त कार्य में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे नही किसी अन्य से करावे न ही वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की चेष्टा करे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. कानाराम पुत्र भौंमा 2. रमेश पुत्र रघुनाथ 3. गंगा सहाय पुत्र रघुनाथ 4. महेन्द्र पुत्र रघुनाथ 5. प्रभाती पत्नि स्व. रघुनाथ 6. सोहन लाल पुत्र सीताराम आयु 11 वर्ष । नाबालिग 7. प्रहलाद पुत्र सीताराम आयु 9 वर्ष जरिये संरक्षिका दादी प्रभाती पत्नि स्व. रघुनाथ 8. ग्यारसी पत्नि स्व. भूराराम समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम ढीढोल, तहसील बस्सी जिला जयपुर।		1. गोविन्दराम पुत्र भौंमा जाति मीणा निवासी ग्राम ढीढोल, तहसील बस्सी जिला जयपुर। 2. धोकल राम पुत्र भौंमा जाति मीणा निवासी प्लाट नम्बर एफ–84 नकुल पथ लालकोठी जयपुर। 3. उपपंजीयक बस्सी जिला जयपुर। 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर। प्रतिवादीगण 5. राम सहाय पुत्र भूराराम जाति मीणा निवासी ग्राम ढीढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर। तरतीबी प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 46/2018

निर्णय दिनांक 14.10.2022

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 116 रकबा 2 बीघा खसरा नं. 136 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर में से वादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का तथा वादी संख्या 2 लगायत 7 को 1/5 हिस्से का वादी संख्या 8 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 को 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार बस्सी को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 116, 136 कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर में वादीगण के कब्जे काश्त एवं काश्त कार्य में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे नही किसी अन्य से करावे न ही वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की चेष्टा न करें।..................निजी..................मुबलिक..................बाबत..................खर्चा..... ....इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..............फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक...................को अदा करें।

बराख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.10..2022 को जारी किया गया।

मोहर

ओहदा..............................

दस्तख्त सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner